जिला–मधुबनी **दिनांक–18.04.2026**

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, झंझारपुर, मधुबनी
सत्र वाद संख्या : 330 / 2023
साधारण पंजी वाद संख्या–2071 / 2020
लखनौर आर0एस0ओ0पी0 थाना कांड संख्या–271 / 2020

राज्य द्वारा रिंकी देवी पति मिथिलेश कुमार देव निवासी–बेहट वार्ड नं0–6, थाना–लखनौर आर0एस0ओ0पी0, जिला मधुबनी।

..... अभियोजन

बनाम

01. अवधेश कुमार देव पिता–स्व0 हरिमूर्ति देवी (उम्र लगभग–59 वर्ष),
02. कुमकुम देवी पति–अवधेश कुमार देव (उम्र लगभग–42 वर्ष),
03. मधु देवी पति–अखिलेश कुमार देव (उम्र लगभग–59 वर्ष),
04. अमित कुमार देव पिता–अखिलेश कुमार देव (उम्र लगभग–21 वर्ष)
05. अखिलेश कुमार देव, पिता–स्व0 हरिमूर्ति देव (उम्र लगभग–58 वर्ष)

सभी सा0– बेहट, थाना–लखनौर, जिला–मधुबनी।

..... अभियुक्तगण।

अपराध की तिथिः–29.10.2020

प्राथमिकी की तिथिः–14.11.2020

आरोप पत्र की तिथिः–16.12.2022

संज्ञान की तिथिः–27.02.2023

दौरा सुपुदर्गी की तिथिः–19.05.2023

आरोप गठन की तिथिः–21.12.2023

साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथिः–13.02.2024

अभियोजन साक्ष्य बन्द– 16.04.2026

बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0स0– 16.04.2026

सफाई साक्ष्य– इंकार (Declined)

बहस पूर्ण– 16.04.2026

निर्णय की तिथिः–18.04.2026

सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजकः श्री ईन्द्रकांत प्रसाद

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री परशुराम मिश्र (अधिवक्ता)

निर्णय तिथि–18.04.2026

उपस्थित : सुशील कुमार दीक्षित,
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत प्रकरण के उपरोक्त नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 504, 324, 307 / 34 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिसे अभियुक्तों को हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया है, जिससे इंकार करते हुए अभियुक्तों ने वाद विचारण की मॉग की है।

लगातार

02. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार यह है कि प्रस्तुत वाद के सूचिका रिंकी देवी ने एक फर्दबयान लखनौर (आर0एस0ओ0पी0) थानाध्यक्ष के समक्ष दिनांक 14.11.2020 को प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार कहा जाता है कि दिनांक 29.10.2020 के 10 बजे दिन में उसके भैंसुर अखिलेश कुमार देव अपने दरवाजे पर ग्रामीण पंचायत बैठाये और उसके पति वहॉ गये तो उसके भैंसुर अखिलेश कुमार देव उसके पति के खेत का कागजात एवं पिताजी का पासबुक मांगने लगे। इसपर वह बोले कि मेरे पास जमीन का कोई कागजात व पासबुक नही है, जमीन का कागजात एवं पासबुक छोटी बहन सुधा देवी के पास है। इसपर बाता–बाती, गाली गलौज एवं मारपीट होने लगा। अखिलेश कुमार देव, श्रीमती मधु देवी, अमित कुमार देव, अवधेश कुमार देव, कुमकुम देवी सभी मिलकर गाली गलौज एवं लाठी डंडा से मारपीट कर घ ाायल कर दिया। अखिलेश कुमार देव जान मारने की नीयत से लोहे के रड से सिर पर प्रहार किया जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा जिससे वह बेहोश हो गयी।

03. सूचिका के उक्त फर्दबयान के आधार पर थाना लखनौर (आर0एस0ओ0पी0) थाना कांड संख्या 271 / 2020 दिनांक 14.11.2020 अन्तर्गत धारा– 341, 323, 379, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए उक्त सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। तत्पश्चात् आरोपगठन के पश्चात् विचारण की कार्रवाई प्रारम्भ हुयी।

04. अभियोजन साक्ष्य बंद होने के उपरान्त अभियुक्तों का बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0स0 अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्तों ने स्वंय को पुनः निर्दोष बताया है तथा अभियोजन कथानक जैसी घटना में स्वंय के शामिल होने से इंकार किया है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में सफाई पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार के सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया है। तत्पश्चात् उभय पक्षों द्वारा बहस पूर्ण किया गया।

05. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सत्य साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

<u>मंतव्य</u>

06. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत वाद में कुल 04 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिन्हें मुख्य परीक्षण के उपरान्त प्रतिपरीक्षित कर साक्ष्य भार से मुक्त किया गया है। उक्त अभियोजन साक्षी निम्न प्रकार हैंः–

अभियोजन साक्षी संख्या 01 :– रिंकी देवी (सूचिका)
अभियोजन साक्षी संख्या 02 :– मिथिलेश कुमार देव
अभियोजन साक्षी संख्या 03 :– फिरन पासवान एवं
अभियोजन साक्षी संख्या 04 :– बजरंगी दास

जहॉ तक अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से फर्दबयान पर सूचिका के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 अंकित कराया गया। उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर किसी भी प्रकार का अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

07. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

08. अब मैं सर्वप्रथम प्रस्तुत वाद की सूचिका रिंकी देवी जो साक्षी संख्या 1 के रूप में प्रस्तुत हुयी हैं, के साक्ष्य का विवेचन करना चाहूँगा, उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका–1 में बताया है कि घटना 29.10.2020 के 10 बजे दिन की है, उसके भैसुर अखिलेश कुमार देव अपने दरवाजे पर ग्रामीण पंचायती बैठाये थे, उस पंचायती में उसके पति को बुलाये तो वह गये। उसके भैसुर उसके पति से खेत का कागज और पासबुक मांगे। उसके पति देने से मना किये एवं बोले कि बहन सुधा देवी के पास कागज है, उसी बात को लेकर बाताबाती होने लगा तो अखिलेश, अमित, अवधेश, कुमकुम देवी वगैरह मिलकर लाठी डंडा से हमलोगो को मारपीट कर घायल कर दिया तथा उसके सिर पर अखिलेश कुमार देव लोहे के रड से मारा जिससे उसका सर फट गया, खून बहने लगा। उसका ईलाज अनुमंडल अस्पताल, झंझारपुर में हुआ। अभियोजन की ओर से फर्दबयान पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 अंकित कराया गया है किन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके पति और अवधेश कुमार देव सगे भाई है अन्य मुदालह उसके परिवार के है। उनलोगो के बीच जमीनी विवाद था जो समझौता हो गया है। घ टनास्थल की चौहद्दी नही बता सकती है, पुलिस के समक्ष उसका दुबारा बयान नही हुआ। घटनास्थल पर बहुत भीड़भाड़ हो गया था वहॉ किसके हाथ में क्या था यह नही बता सकती है, किसने उसे और उसके पति को किस चीज से मारा नही बता सकती है। घटनास्थल पर सभी बारी–बारी से आये थे, हमलोगो के बीच मधुर संबंध स्थापित हो गया है, स्वेच्छा से सुलहनामा पर हस्ताक्षर करके दाखिल किया है, जिसपर उसके पति ने भी हस्ताक्षर किया है, अब आगे केस नही लड़ना है, न गवाही देना है, मुकदमा समाप्त होने में कोई आपत्ति नही है।

प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से साक्षी संख्या–2 मिथिलेश कुमार देव प्रस्तुत हुये है, इन्होनें कथन किया है कि घटना 29.10.2020 के दस बजे दिन की है, उसके बड़े भाई अखिलेश कुमार देव पंचायती के क्रम में उससे जमीन का कागज मांगे। वह बोले कि कागज उसकी छोटी बहन के पास है, उसके बाद अवधेश कुमार देव, अखिलेश कुमार देव, कुमकुम देवी, मधु देवी, अमित कुमार उसे और उसकी पत्नी के साथ लप्पड़ थप्पड़ से मारपीट एवं गाली गलौज किया। हम लोग अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में ईलाज कराये। प्रतिपरीक्षण में साक्षी कथन किये है कि यह केस जमीनी विवाद के कारण हुआ, झगड़ा के समय बहुत भीड़भाड़ हो गयी थी, उस दौरान किसके हाथ में क्या था, वह नही बता सकता। घटनास्थल पर मुदालह बारी बारी से आये। कौन किसको किस चीज से मारा, यह वह नही बता सकता। मुदालह उसके सहोदर भाई है। मुदालहो के साथ राजी खुशी से सुलह हो गयी है, अब आगे केस नही लड़ना है, केस समाप्त होने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी संख्या–3. फिरन पासवान एवं 4. बजरंगी दास पक्षद्रोही साक्षी घोषित किये गये है, जिन्होनें अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है तथा प्रतिपरीक्षण में अभियोजन पक्ष उक्त साक्षियों से ऐसा कोई तथ्य अभिलेख में लाने में सफल नही हुआ है जिससे मामले की सत्यता और विश्वसनीयता प्रभावित होती हों।

09. इस प्रकार अभिलेख में उपलब्ध सभी साक्षियों के साक्ष्य के सम्यक् विवेचना से स्पष्ट होता है कि किसी भी साक्षी ने अभियुक्तो के विरूद्ध मामले का समर्थन नही किया है तथा अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सत्य साबित करने में सफल नही हुआ है। जहॉ तक साक्षी संख्या–1 रिंकी देवी का प्रश्न है जो इस केस के सूचिका है, इन्होनें भी अपने प्रतिपरीक्षण में मुख्य परीक्षण से पूर्णतः विरोधाभाषी अभिकथन करते हुये अपने प्रतिपरीक्षण में बतायी है कि उसके पति और अवधेश कुमार देव सगे भाई है अन्य मुदालह उसके परिवार के है, उनलोगो के बीच जमीनी विवाद था जो समझौता हो गया

है। घटनास्थल की चौहद्दी नही बता सकती है, पुलिस के समक्ष उसका दुबारा बयान नही हुआ। घटनास्थल पर बहुत भीड़भाड़ हो गया था वहॉ किसके हाथ में क्या था यह नही बता सकती है, किसने उसे और उसके पति को किस चीज से मारा नही बता सकती है, घटनास्थल पर सभी बारी–बारी से आये थे, हमलोगो के बीच मधुर संबंध स्थापित हो गया है, स्वेच्छा से सुलहनामा पर हस्ताक्षर करके दाखिल की है, जिसपर उसके पति ने भी हस्ताक्षर किया है, अब आगे केस नही लड़ना है, न गवाही देना है, मुकदमा समाप्त होने में कोई आपत्ति नही है। जहॉ तक अभियोजन साक्षी संख्या–2 मिथिलेश कुमार देव का प्रश्न है जो सूचिका के पति है, इन्होनें भी अपने प्रतिपरीक्षण में मुख्य परीक्षण से पूर्णतः विरोधाभाषी अभिकथन करते हुये बताये है कि यह केस जमीनी विवाद के कारण हुआ, झगड़ा के समय बहुत भीड़भाड़ हो गयी थी, उस दौरान किसके हाथ में क्या था, वह नही बता सकता। घटनास्थल पर मुदालह बारी बारी से आये, कौन किसको किस चीज से मारा, यह वह नही बता सकता। मुदालह उसके सहोदर भाई है। मुदालहो के साथ राजी खुशी से सुलह हो गयी है, अब आगे केस नही लड़ना है, केस समाप्त होने पर कोई आपत्ति नही है। अभियोजन साक्षी संख्या–3. फिरन पासवान एवं अभियोजन साक्षी संख्या–4. बजरंगी दास अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुये है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी अन्य साक्षी ने भी कथित घटना का समर्थन नही किया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित किया गया है और न ही शेष गवाहन जिनका उल्लेख लिखित आवेदन में है, को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया है।

10. इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। फलःस्वरूप प्रस्तुत प्रकरण के उपरोक्त नामित सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाकर दोषमुक्त करना उचित व न्यायसंगत समझता हूॅ।

आ दे श

अभियुक्तगण **1. अवधेश कुमार देव, 2. कुमकुम देवी, 3. मधु देवी, 4. अमित कुमार देव एवं 5. अखिलेश कुमार देव** को **भा0द0वि0 की धारा– 323, 341, 504, 324, 307 / 34** के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें व उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(सुशील कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी
18.04.2026

लेखापित

(सुशील कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी
18.04.2026